पेंच और नागझिरा टाइगर कॉरिडोर पर खतरा

नागपुर. वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर स्वच्छ एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने सुनवाई के दौरान बताया कि वन क्षेत्र में 100 हेक्टेयर में फैले मैंगनीज खनन प्रोजेक्ट के कारण पेंच और नागझिरा/नवेगांव टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर के

कोर्ट में अधिकार क्षेत्र पर छिड़ी कानूनी बहस

अस्तित्व पर गहरा संकट खड़ा हो गया है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान भले ही याचिकाकर्ता की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई हो, किंतु केंद्र सरकार की ओर से यह विषय ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का होने की दलिल दी गई. जिसका विरोध करते हुए याचिककर्ता के वकील का मानना था कि यह मुद्दा न केवल पर्यावरण से जुड़ा है, बल्की कई

अहम मुद्दे भी जुडे है. जिस पर सुनवाई का अधिकार हाई कोर्ट को है. जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर अब अदालत में बड़ी कानूनी बहस छिड गई है.

वन्यजीव बोर्ड पर लापरवाही के गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश करते हुए आरोप लगाया कि राज्य वन्यजीव बोर्ड ने एक यांत्रिक तरीके से बिना सोचे-समझे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी. वन विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई थी कि क्षेत्र के संवेदनशील होने के कारण मंजूरी देने से पहले भारतीय वन्यजीव संस्थान से तकनीकी राय ली जानी चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया.

NGT बनाम हाई कोर्ट- कहां होगी सुनवाई?

- केंद्र सरकार का कहना है कि यह मामला मुख्य रूप से वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 और पर्यावरण से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि पर्यावरण और वनों से जुड़े ऐसे मामले अनिवार्य रूप से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (हत्रज्ञ), पुणे को ट्रांसफर किए जाने चाहिए.

- याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए 4 प्रकार की क्लीयरेंस चाहिए होती हैं. पर्यावरण, खनन, वन और वन्यजीव. उनका मुख्य विरोध %वन्यजीव क्लीयरेंस को लेकर है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आता है. चूंकि यह अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इसकी सुनवाई केवल हाई कोर्ट ही कर सकता है.

वन्यजीव कॉरिडोर के रूप में पहचान

याचिकाकर्ता के अनुसार, विवादित मैंगनीज प्रोजेक्ट में 99.95 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जिसमें 5.5 हेक्टेयर घने जंगल की भूमि भी है. सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि खनन के लिए प्रस्तावित 100 हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 40 हेक्टेयर हिस्सा एक टाइगर कॉरिडोर है. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा भी इस वन्यजीव कॉरिडोर की पहचान की गई है और यह क्षेत्र बाघों सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है.

खनन की अवधि समाप्त

याचिकाकर्ता के अनुसार, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग ने 5 जून 2018 को मैंगनीज अयस्क के खनन के लिए %प्रतिवादी क्रमांक 13% को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था. याचिका में गंभीर आरोप लगाया गया है कि यह मंजूरी उस क्षेत्र में मौजूद वन्यजीवों को नजरअंदाज करते हुए और संबंधित अधिकारियों की अनिवार्य सिफारिशों के बिना दी गई थी. नियमों के अनुसार, यह लेटर ऑफ इंटेंट शुरुआत में 2 साल के लिए वैध था, जिसे अधिकतम 3 साल और बढ़ाया जा सकता था, यानी इसकी अधिकतम वैधता अवधि 5 वर्ष थी. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि यह पांच वर्ष की अवधि 4 जून 2023 को ही समाप्त हो चुकी है.

चंद्रपुर कोर्ट के ठेकेदार का बिल 4 हफ्तों में चुकाएं

नागपुर. जनमंच संस्था द्वारा नागपुर महानगरपालिका और अन्य सरकारी विभागों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. न्या. उर्मिला जोशी फाल्के और न्या. निवेदिता मेहता ने इस मामले की सुनवाई के बाद पीडब्ल्यूडी व वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा आदेश दिया. अदालत में पेश किए गए हलफनामे के अनुसार चंद्रपुर जिला न्यायालय भवन का निर्माण कर रहे ठेकेदार का काम पूरा होने के बावजूद 9 करोड़ 38 लाख 79 हजार रुपये का भारी-भरकम बिल के पास लंबित है. बिल का भुगतान न होने के कारण निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है. कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए वित्त सचिव को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 4 सप्ताह के भीतर इस बिल को जारी करने का निर्णय लें.

हर माह मेजरमेंट बुक मेंटेन

गढ़चिरोली जिला न्यायालय भवन के सिविल कार्यों के संबंध में अदालत को बताया गया कि अतिरिक्त एस्टीमेट (अनुमानित खर्च) तैयार कर विधि एवं न्याय विभाग को भेजे जाने हैं. कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सचिव को इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत के पिछले आदेशों के असर से पीडब्ल्यूडी ने अब मासिक आधार पर मापन करना और मेजरमेंट बुक मेंटेन करना शुरू कर दिया है. नागपुर स्थित 'विवेक' बंगले के मुद्दे पर अतिरिक्त सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इसका प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग के सचिव के पास भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अदालत ने इस देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए विधि एवं न्याय विभाग के सचिव को 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है.

सीमेंट सड़कों की बदहाली, याचिकाकर्ता से मांगी गई सटीक जानकारी

शहर में सीमेंट सड़कों की समस्या पर मनपा के वकील जेमिनी कासट ने अदालत से कहा कि यदि याचिकाकर्ता सीमेंट सड़कों से जुड़े विशिष्ट स्थानों और बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बताएं तो मनपा और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के लिए समस्या का समाधान करना अधिक सुविधाजनक होगा. जनमंच के वकील परवेज मिर्ज़ा ने इस पर सहमति जताई और वर्तमान स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा.

एक नजर में

नेशनल लोक अदालत 9 मई को

बैतूल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 मई को प्रातः 10.30 बजे से न्यायालय परिसर बैतूल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल दिनेश चंद्र थपलियाल के द्वारा लोक नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जाएगा।

जनगणना को जिम्मेदारी के साथ किया जाए

बैतूल। जनगणना कार्य को लेकर एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह ने संयुक्त बैठक ली। इस अवसर पर जनगणना चार्ज अधिकारी गोवर्धन पाठे तहसीलदार ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक में संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एसडीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जनगणना कार्य को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। सभी कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें और घर-घर जाकर सटीक व पूर्ण जानकारी एकत्रित करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाए। साथ ही जनगणना के दौरान आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

फील्ड टेस्टिंग किट से जल जांच का दिया प्रशिक्षण

बैतूल। बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विकासखंड चिचोली में ग्रामीण महिलाओं को शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कार्यपालन यंत्री के मार्गदर्शन में विकासखंड समन्वयक वैशाली आर्य ने एनआरएलएम समूह की महिलाओं को एफटीके फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता जांचने की जानकारी दी। प्रशिक्षण में महिलाओं को गांव स्तर पर पेयजल परीक्षण, जल संरक्षण और जल संवर्धन के उपाय बताए गए। साथ ही नल जल योजनाओं को मजबूत बनाने में ग्राम पंचायत के साथ समन्वय कर काम करने और जलकर वसूली की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

कैरम प्रतियोगिता और योग गतिविधियों से विद्यार्थियों में उत्साह का संचार

पाठई स्कूल में समर कैंप के पांचवें दिन विविध गतिविधियों का आयोजन

नव भारत न्यूज

पांढुरना,5 मई, शासन के आदेशानुसार एवं जिला कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देशानुसार, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी एल मेश्राम एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी हारीभाऊ हांडे के मार्गदर्शन में समर कैंप 1 मई 2026 से 1 जून 2026 तक आयोजित किया जाना है। जिसके अंतर्गत आज दिनांक 05 मई 2026 को 5वें दिन पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाठई, जिला

पांढुर्णा में संस्था प्रमुख द्वारा नियुक्त शिक्षक राहुल नायक उमाशि, श्रीमती सविता वट्टी उमाशि, सहनलाल धुर्वे माशि एवं श्री कमलेश नागवंशी (सहयोगी कर्मचारी) द्वारा खेल के अंतर्गत कैरम प्रतियोगिता तथा योग से संबंधित गतिविधियां कराई गई।

इसके साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समर कैंप के माध्यम से बच्चों को खेल, योग एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ते हुए उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मेडिकल में ट्रक भर एक्सपायरी दवाइयां

नागपुर, महानगर संवाददाता. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दवाइयों की किल्लत कोई नई बात नहीं है. ओपीडी में आने वाले मरीजों में 50 फीसदी से अधिक को कोई भी दवाई नहीं मिलती. इसके बावजूद भारी मात्रा में दवाइयां एक्सपायरी होने की जानकारी सामने आई है. बताया जाता है कि करीब ट्रक भर दवाइयां एक्सपायरी होने के बाद स्टोर रूम में पड़ी हैं. वहीं ट्रक भर दवाइयों को करीब 6 महीने ठिकाने लगाया गया.

मेडिकल प्रशासन द्वारा दावा किया जाता है कि दवाइयों की कमी नहीं है लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत बनी हुई है. अब भी ओपीडी में आने वाले 50 फीसदी से अधिक मरीजों को कोई भी दवाई नहीं मिलती. उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है. इसके बाद भी हर महीने भारी मात्रा में दवाइयां एक्सपायरी होने की जानकारी सामने आई है. सबसे अधिक दवाइयां कोराना काल के वक्त की है. महामारी के दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेजों को दवाइयों की आपूर्ति करने वाली कंपनी हाफकिन्स द्वारा भरपूर दवाइयां सामग्री उपलब्ध कराई गई थीं. इसके साथ ही अनेक सामाजिक संगठनों, एजेंसियों, सरकारी उपक्रमों ने भी मेडिकल को दवाइयां सहित सामग्री दान की थी. इनमें से कई दवाइयां बच गईं. बाद में यह सभी दवाइयां एक्सपायरी हो गईं.

- स्टोर रूम में जगह तक नहीं

दवाइयां बचने के बाद वैद्यकीय शिक्षा व अनुसंधान विभाग ने मई 2025 को आदेश जारी कर बची एक्सपायरी दवाइयों यानी बायो मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए संबंधित कंपनी को कहा. मेडिकल सहित नागपुर के सभी सरकारी अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट सुपर हाइजीन डिस्पोजल कंपनी द्वारा डिस्पोज किया जाता है. कंपनी नियमित रूप से बायो मेडिकल वेस्ट भी मेडिकल से उठाती है. नवंबर 2025 में कंपनी ने करीब एक ट्रक एक्सपायरी दवाइयां डिस्पोज कीं.

कोल नगरी में आईपीएल पर चल रहा लाखो का सट्टा

सारनी। कोल नगरी में आईपीएल क्रिकेट मैच पर लाखो रुपयों का सट्टा खिलाया जा रहा है। इस गोरखधंधे में भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं के नाम भी सामने आ रहे है। हालांकि पुलिस विभाग को इस मामले की जानकारी होने के बाद भी चुप्पी साधे हुए है। बताया जाता है कि कोल नगरी में बड़े पैमाने पर क्रिकेट मैच पर सट्टा का खेल चल रहा है। कोल नगरी एवं सारनी में सुदखोरी एवं क्रिकेट मैच में लाखो रुपयों का लेनदेन होने की वजह से कई लोग आत्महत्या कर चुके है। हाल ही में एक विद्युत कर्मी ने सुदखोरी की चलते आत्महत्या कर ली है। पुलिस को मृतक का सोसाइट नोट मिला है। सोसाइट नोट मे सुदखोर का नाम होने की चर्चा है। परंतु पुलिस ने सोसाइट नोट मे क्या लिखा है, इस बात का खुलासा नहीं किया है। बताया जाता है कि आईपीएल क्रिकेट मैच में रोजाना लाखो रुपयों का सट्टा खेला जा रहा है। कोल नगरी में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर क्रिकेट मैच पर सट्टे के दांव लग रहे है। कई लोग क्रिकेट मैच में सट्टे की वजह से बर्बाद हो रहे है। वरिष्ठ नागरिक मंच ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कोल नगरी में क्रिकेट मैच में चल रहे सट्टे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को आत्ममंथन की जरूरत

नागपुर, निज संवाददाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता ने विकास के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है और ममता बनर्जी के कथित थर्ड डिग्री वाली दबाव की राजनीति को नकार दिया है. देशभर के मतदाता अब विकास के मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं और विपक्षी दलों को इससे सीख लेनी चाहिए. यह कहना है राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का. वे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने विकसित राज्य के लिए मतदान किया है. देश में विकास की राजनीति को समर्थन बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष अभी भी पुरानी शैली से बाहर आता नहीं दिख रहा. कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है. महाराष्ट्र में भी जनता विकास के पक्ष में खड़ी है और आने वाले समय में विपक्ष को जनसमर्थन नहीं मिलेगा.

संघ परिवार की अहम भूमिका : पश्चिम बंगाल में जीत के पीछे संघ परिवार की अहम भूमिका पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से किए गए संगठनात्मक प्रयासों का सुफल मिला है. हजारों कार्यकर्ताओं ने कई वर्षों तक संघर्ष किया. कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में और बूथ स्तर पर मजबूत प्रबंधन के कारण यह जीत संभव हुई. बंगाल में सुशासन आए, यही कार्यकर्ताओं की भावना थी.

नरसापुर आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

नरसापुर की घटना पर उन्होंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आवश्यक सभी कदम उठा रही है और राज्य सरकार भी न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.

मजदूर के शोषण को लेकर डॉ सुनीलम ने सीएम से की मांग

मुलताई। किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं जिलाधीश बैतूल को पत्र लिखकर मुलताई तहसील के ग्राम डहरगांव में संचालित हार्टीफ्रूट आईजी बेरीज (ब्लू बेरी) कंपनी के खिलाफ मजदूर शोषण व जल अधिकार हनन की उच्चस्तरीय जांच और कार्यवाही की मांग की है।डॉ. सुनीलम ने कहा है कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से ब्लू बेरी कंपनी द्वारा श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 478 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर मात्र 400 रुपये दिए जाने, मजदूरों को पीएफ, बीमा, चिकित्सा सुविधा, शौचालय एवं सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाने तथा वर्धा डेम से अवैध रूप से पानी लिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई हैं जो श्रम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन तो है ही किसानों के जल अधिकारों का हनन भी है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा पानी के अत्यधिक उपयोग से क्षेत्र के किसानों की फसलें सूखने की स्थिति में पहुंच गई हैं। डॉ. सुनीलम ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,जिससे किसानों एवं मजदूरों को न्याय मिल सके।

- विवि का निर्णय, करिअर के नये द्वार खुलेंगे

अब बीई स्नातकों को एम.एससी. में प्रवेश

नागपुर, महानगर संवाददाता. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इंजीनियरिंग स्नातकों को अब विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में एम.एससी. करने का अवसर देने का निर्णय लिया है. इस नई पहल का उद्देश्य छात्रों को बहुविषयक नेतृत्व की ओर आगे बढ़ाना और उनके लिए करिअर के नए रास्ते खोलना है.

इस योजना के तहत इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले छात्र अब भौतिकी, गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे. यह पहल कौशल विकास और व्यापक करिअर अवसरों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है. इंजीनियरिंग छात्रों के पास व्यावहारिक ज्ञान होता है लेकिन अब गहरी सैद्धांतिक समझ और विश्लेषणात्मक सोच की मांग बढ़ रही है. ऐसे में भौतिकी, गणित और सांख्यिकी जैसे विषय आधुनिक तकनीकी विकास का आधार बनते हैं और अनुसंधान व नवाचार के लिए जरूरी है. यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है जिसमें लचीलापन, बहुविषयक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है. यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग और मूलभूत विज्ञान के बीच की दूरी को कम करते हुए छात्रों को शोधकर्ता, नवप्रवर्तक और विचारक बनने में मदद करेगा. सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सभी बीई, बीटेक स्नातकों से इस अवसर का लाभ उठाने और अपने करिअर को नई दिशा देने के लिए आवेदन करने की अपील की गई है.

शहर भाजपा में खींचतान, अलग-अलग मनाया जीत का जश्न

नागपुर, निज संवाददाता. शहर कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है. पार्टी के कार्यक्रम देवड़िया भवन में अलग और उत्तर नागपुर में अलग आयोजित होते हैं. पूर्व, पश्चिम और उत्तर की खींचतान सर्वविदित है. हालांकि अब समय पड़ने पर एक मंच पर सभी गुट के नेता नजर आते हैं. लगता है अब शहर भाजपा भी उसी राह पर आगे बढ़ रही है. गुटबाजी पहले 'बाड़ा' और 'बंगला' तक सीमित थी लेकिन अब यह निचले स्तर पर भी पहुंच गई है. भाजपा अनुशासित पार्टी के रूप में पहचानी जाती है और यहां पार्टी हित व्यक्ति से ऊपर रखा जाता है. अब यह डिसिप्लिन खोने लगा है. आपसी खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही है. 4 मई को जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम में 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई. खासकर पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो गया तो भाजपा खेमे में देशभर में खुशी की लहर दौड़ गई. नागपुर शहर भाजपा की ओर से भी पार्टी कार्यालय में जश्न मनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचने को कहा गया. शहर अध्यक्ष की सूचना पर केवल मध्य व पूर्व के विधायक ही पहुंचे. फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वे अपने क्षेत्रों में लौट गए और वहां अलग से जीत का जश्न मनाया गया.

अपनी-अपनी ताल

पूर्व शहर अध्यक्ष व विधायक ने मध्य नागपुर में बड़कस चौक पर जीत का शानदार जश्न मनाया. झालमुड़ी बांटी गई और जमकर केसरिया गुलाल उड़ाया गया. ढोल-ताशों की धुन पर जमकर डांस भी हुआ. वे पहले पार्टी कार्यालय धंतोली के जश्न में शामिल हुए थे, फिर फोटो सेशन के बाद निकल गए. ऐसा ही पूर्व नागपुर में हुआ. पूर्व नागपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक के नेतृत्व में सतरंजीपुरा चौक पर अलग से जश्न मनाया. सबकी अपनी-अपनी ताल नजर आई. इतना ही नहीं, मनपा की एक महिला पदाधिकारी ने अपने एरिया धरमपेठ में अलग से जश्न का आयोजन किया हुआ था. यह सब देख राजनीतिक महकमे में एक चर्चा यह भी चल रही है कि विद्यमान अध्यक्ष के साथ दिखावे की एकजुटता दिखाई जा रही है, जबकि भीतरी खींचतान जमकर चल रही है.

नहीं पहुंचे विधायक सहित अनेक पदाधिकारी

पश्चिम बंगाल में भगवा लहराना बीजेपी का मिशन था जिसमें वह सफल रही. इतनी बड़ी जीत का जश्न तो बनता ही था. आश्चर्य की बात यह भी रही कि शहर भाजपा के पार्टी कार्यालय में आयोजित जश्न से दक्षिण के विधायक, सीएम के बेहद करीबी विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद, मनपा के अनेक पदाधिकारी दूर रहे. यह चर्चा का विषय बना रहा.

अपर कलेक्टर श्री अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जनसुनवाई संपन्न

28 आवेदनों पर हुई सुनवाई,त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

नव भारत न्यूज

पांढुरना,5 मई,राज्य शासन द्वारा संचालित साप्ताहिक जनसुनवाई के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज कलेक्टर कार्यालय पांढुर्णा के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री ने 28 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

जनसुनवाई में जिले के शहरी एवं

ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूरस्थ अंचलों से आए नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। प्राप्त आवेदनों में प्रमुख रूप से भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, भू-अधिकार पट्टा उपलब्ध कराने, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, जाति प्रमाण पत्र जारी करने, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने तथा खसरा-नक्शा दुरुस्ती से संबंधित प्रकरण शामिल रहे।

इसके अतिरिक्त कई आवेदकों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएँ भी प्रस्तुत कीं। इनमें उषा सौदागर, निवासी जवाहर वार्ड पांढुर्णा द्वारा मीटर खराब होने से अधिक राशि का बिल आने के कारण मीटर की जांच कर मीटर बदलने एवं बिल की राशि कम किए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

इसी प्रकार वनीता कोहले, निवासी संतोषी माता वार्ड पांढुर्णा द्वारा अपने निवास स्थल का आवासीय पट्टा प्रदान किए जाने, गुजरखेड़ी सरपंच निवासी ग्राम पंचायत गुजरखेड़ी, पांढुर्णा द्वारा ग्राम गुजरखेड़ी एवं अंबाड़ाखुर्द में बिजली समय सारणी परिवर्तन, गंगाधर किनकर, निवासी सिवनी पांढुर्णा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास, तथा सरिता वंजारी, निवासी ग्राम धावडीखापा, पांढुर्णा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए गए।इसके साथ ही विश्वेश्वर कराले, निवासी मु.पो. मारूड, पांढुर्णा द्वारा बाल विकास/निराधार योजना का लाभ न मिलने, समस्त आरकान्स सिटी सौसर (बेलगांव) के रहवासियों द्वारा अवैध कॉलोनियों के गंदे पानी की निकासी आरकान सिटी, बेलगांव सौसर से किए जाने पर प्रतिबंध लगाने, तथा सूर्यकांता खुरसंगे, निवासी टेकड़ी वार्ड पांढुर्णा द्वारा शासकीय भूमि का आवासीय पट्टा दिलाए जाने के संबंध में आवेदन शामिल रहे।

जनसुनवाई कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर सुश्री मेघा शर्मा, एसडीएम पांढुर्णा श्रीमती अलका एक्का, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रेक्षा पाठक, जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती बंदू सूर्यवंशी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

भाजपा की कामकाजी बैठक का हुआ आयोजन

मुलताई। नगर के भाजपा कार्यालय में मंगलवार को मंडल स्तरीय कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा मीडिया प्रभारी राम चरण मालवीय ने बताया कि मंडल स्तरीय कामकाजी बैठक को संबोधित करते हुए विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने कहा कि पश्चिम बंगाल,असम,पांडिचेरी भाजपा को मिली प्रचंड एवं ऐतिहासिक जीत शीर्ष नेतृत्व की कुशल रणनीति एवं कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, संगठन की मजबूती का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में जीत मिलने पर कार्यकर्ता उत्साहित है यह जीत कई कार्यकर्ताओं के बलिदान एवं मेहनत का परिणाम है। भाजपा का मूल उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्व को मिलने पर निष्ठा एवं

समर्पण भाव से कार्य करना जरूरी है। जिला उपाध्यक्ष जगदीश पवार ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों संगठन विस्तार एवं मंडल की संरचनात्मक मजबूती से जुड़े विषय पर विचार रखें। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गणेश साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित करने एंव संगठन की गतिविधियों में कार्यकर्ताओं को सतत सक्रिय रखने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सहसंयोजक तुलसीराम बारस्कर ने आभार व्यक्त किया गया। बैठक में विधायक चंद्रशेखर देशमुख, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश पवार, सहसंयोजक तुलसीराम बारस्कर, भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश साहू, एल्डरमैन राजू चौबे श्यामू नंदकिशोर बरखा डे, भूषण चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे।